न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 11 / 2021 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 13.07.2021

उनवान

1. भंवर लाल पिता नन्दराम जाति भांबी आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

——प्रार्थी

बनाम

1. मु0 नर्बदा पुत्री स्व0 तुलछा पत्नि मोहन जाति भांवी (बुनकर) आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन हाल मुकाम आकोला तहसील भूपालसागर जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
2. मु० कस्तुरी पुत्री स्व० तुलछा जाति भांबी आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा पति हीरा लाल जाति भांबी निवासी सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
3. मु0 श्यामु पिता स्व० तुलछा जाति भांबी आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा पति भैरू लाल भांवी निवासी रूण्डेड़ा तहसील वल्लभनगर।
4. मु0 चांदी पिता स्व० तुलछा जाति भांवी आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन पति गोपी लाल जाति भांबी निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
5. मु0 कुसबा पिता स्व० तुलछा जाति भांबी उम्र बालिग निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन पति गोटू जाति भांबी निवासी कंथारिया तहसील चितौड़गढ़।
6. मु० मोहनी पत्नि स्व० तुलछा जाति भांवी उम्र बालिग निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)। (विलोपित)
7. मु0 केशर पिता स्व० परथा जाति भांवी आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन हाल मुकाम पति शंकर लाल भांबी निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. शिवलाल पिता तुलछा जाति भांबी आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र तुलिछया —प्रार्थी
अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच —अप्रार्थी सं0 1, 2, 4, 5, 7
एकतरफा —अप्रार्थी संख्या 3, 8

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 13.05.2025

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का करूकंड़ा तहसील कपासन में स्थित प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 52 रकबा 0.21 हैक्ट0 व आराजी नम्बर 53 रकबा 0.29 हैक्ट0 स्थित है।

यह कि ग्राम उम्मेदपुरा से गांव करूकंड़ा की ओर सेरनुमा गिट्टी रोड़ का सड़कनुमा रास्ता स्थित है प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 52 व 53 पर उक्त वर्णित सरकारी गिट्टी रोड़ रास्ते से होकर फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है फिर दक्षिण की ओर मुड़कर आराजी नम्बर 31 रकबा 0.33 हेक्टर में उत्तरी पश्चिम पाली से प्रवेश करता है इस पाली पर यह रास्ता 1 फिट पूर्व से पश्चिम चौड़ा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर लम्बवत् स्थित है इस आराजी नम्बर 31 के खातेदार तुलछा पिता कालू भांबी निवासी उम्मेदपुरा थे जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन अभी वारीसाना इन्तकाल नही खुला है मृतक खातेदार तुलछा के उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 6 है फिर प्रार्थी का कदिगानी 10 फिट पूर्व से पश्चिम चौड़ा कदिमानी रास्ता दक्षिण की ओर आगे बढ़ता है जो आराजी नम्बर 32 रकबा 0.32 हेक्टर की पश्चिमी पाली पर उत्तर दक्षिण की ओर अवस्थित है जहां पर भी यह प्रार्थी का यह कदिगानी रास्ता 10 फिट

(सहायक कलेक्टर)

पूर्व से पश्चिम चौड़ा है फिर प्रार्थी का यह रास्ता प्रार्थी की आराजी नम्बर 52 के उत्तरी पश्चिमी गुंह से आराजी नम्बर 52 में प्रवेश कर जाता है फिर आगे यह रास्ता प्रार्थी की आराजी नम्बर 53 में प्रवेश कर जाता है ।

यह कि इस प्रकार उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थी का करीब 50 साल से अवस्थित है प्रार्थी के पिता भी इसी रास्ते से आते जाते है इस उक्त वर्णित रास्ते से प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 52 व 53 पर गाडी भरी हुई बैल हुई हल बैल जुते हुए तथा ट्रेक्टर हल सहित व टेक्टर ट्रोली सहित लाता ले जाता रहा है हल से आराजियात को हांकता जोतता आया है तथा ट्रेक्टर के हल से आराजीयात हांकता व बोता आया है आराजियात की फसल की निराई गुड़ाई इसी रास्ते से हल बैल या ट्रेक्टर लेजाकर करता आया है तथा फसल पकने पर फसल को काटकर ट्रेक्टर की ट्रोली में भर कर घर पर लाता है या खेत पर ही फसल से दाने निकाल कर घर पर ट्रेक्टर ट्रोली में भरकर लाता ले जाता आया है इस प्रकार प्रार्थी का उक्त रास्ते का उपयोग करने का सुखाधिकार प्राप्त हो गया है। प्रार्थी अपने पशुओं को भी इसी रास्ते लाता ले जाता है तथा परिवार वाले भी पैदल इसी रास्ते से आते जाते रहते है।

यह कि प्रार्थी जब अभी दिनांक 10/10/2020 को अपनी उक्त आराजियात से फसल को काटकर ट्रेक्टर में भर कर घर ला रहा था तो अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते पर प्रार्थी को रोकने की कोशिश की तथा रास्ते को बन्द करने की भी धमकी दी इसलिये प्रार्थी अब इस रास्ते को रेकार्ड में दर्ज कराने व विधमान रास्ता जो आराजी नम्बर 31 व 32 की पश्चिम पाली पर पूर्व से पश्चिम 10 फिट चौड़ा है उसे 15 फिट चौड़ा कराना चाहता है तथा सरकार को वांछित शुल्क भी जमा कराने को तैयार है ।

प्रार्थी की आराजी नम्बर 52 व 53 पर आने जाने हेतु इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नही है प्रार्थी की आराजी नम्बर 52 व 53 पीवल है यदि अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थी के कदिमानी रास्ते को बन्द कर देगें तो प्रार्थी की आराजी नम्बर 52 व 53 पर काश्त नही हो सकेगी इसलिये प्रार्थी को भारी नुकसान होगा जिसे रूपयों गें पुरा नही किया जा सकेगा व प्रार्थी को ऐसा नुकसान होगा जिसे रूपयों गें आंका नही जा सकेगा इसलिये अप्रार्थीगण को विवादित उक्त वर्णित जैरबहस रास्ते को बन्द नही करने व उपयोग उपभोग में बाधा नही डालने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है तथा रेवेन्यू रेकार्ड तथा नक्षा ट्रेस में उक्त वर्णित अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 31 व 32 में पश्चिमी पाली पर उत्तर से दक्षिण रास्ता अंकित किया जाना भी आवश्यक है यह रास्ता पूर्व से पश्चिम 15 फिट चौड़ा अंकित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

यह कि वादकारण दिनांक 10/10/2020 से प्रारम्भ होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थी की प्रार्थना है कि –

(1) पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस अमर का जारी फरमाया जावें कि वाके मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का करुकड़ा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 52 रकबा 0.21 हेक्टर व आराजी नम्बर 53 रकबा 0.29 हेक्टर पर आने जाने का कदिमानी रास्ता ग्राम उम्मेदपुरा से पश्चिम की ओर सार्वजनिक गिटीरोड़ का रास्ता जिससे होकर प्रार्थी हर सहित ट्रेक्टर बैलगाड़ी जुती हुई का पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है उसके बाद अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 6 की आराजी नम्बर 31 के उत्तरी पश्चिम कोने से दक्षिण की ओर मुड़कर आराजी नम्बर 31 की पश्चिम पाली पर 10 फिट चौड़ा स्थित है उस पर से होकर दक्षिण तरफ आगे बढ़ता है जो अप्रार्थी नम्बर 3 की आराजी नम्बर 32 में उत्तर की ओर से पश्चिमी कोने से प्रवेश कर पश्चिमी पाली पर भी 10 फिट पूर्व से पश्चिम चौड़ा गाडी गडार का यह रास्ता स्थित है जो आगे दक्षिण की ओर यह रास्ता बढता है जो प्रार्थी की आराजी नम्बर 52 की उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रवेश करता है फिर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 53 से भी इसी रास्ते से चला जाता रहा है यह रास्ता कदिमानी होकर गत 50 साल से स्थित है इस रास्ते का उपयोग आराजी नम्बर 52 व 53 पर आने जाने के लिये ट्रोली सहित ट्रेक्टर व हल सहित टेक्टर व जुती हुई बैलगाड़ी से करता रहा है इस रास्ते को अप्रार्थीगण बन्द नही करें व प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले न खुद ऐसा करें न ही अपने परिवार के सदस्य या नौकर एजेन्ट्स से करावें ।

(2) पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के आज्ञात्मक स्थाई आदेश इस प्रकार का जारी फरमाया जाकर आराजी नम्बर 31 व 32 के रेवेन्यू रेकार्ड में उक्त रास्ता अंकित कराया जावें व उक्त

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

आराजी नम्बर 31 व 32 के नक्षा ट्रेस में भी दो समान्तर लाईनों से 15 फिट पूर्व से पश्चिम चौड़ा पश्चिम पाली पर उत्तर से दक्षिण लम्बवत रास्ता अंकित कराया जावें ।

(3) उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की जैरबहस आराजी नम्बर 31 व 32 की पश्चिम पाली पर उत्तर से दक्षिण नक्षा लम्बा व पूर्व से पश्चिम 15 फिट चौड़ा नक्षा ट्रेस जमाबन्दी में अंकित होगा उसका जो भी खर्चा देना माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को आदेशित किया जायेगा उसकी पालना प्रार्थी करेगा।

(4) अन्य उचित अनुतोष माननीय न्यायालय उचित सगझे प्रार्थी को दिलाने की कृपा करावें।

(5) प्रार्थी के इस प्रार्थनापत्र का हर्जा खर्चा अप्रार्थीगण से दिलाने की कृपा करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 13.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच का अधिकार पत्र पेश जो शा0 फा0 किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 का नाम हटाने बाबत् वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थी द्वारा नो ऑब्जेक्शन किया गया जिससे अप्रार्थी संख्या 6 का नाम विलोपित किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्ध दिनांक 06.05.2025 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–.

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 से प्रार्थी की आराजीयात स्थित होना जानकारी मे है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलग सं0 2 उल्लेखित कुलिया कथन गलत होने से स्वीकार नहीं, अप्रार्थीगण की उल्लेखित आराजी में प्रार्थी की आराजी मे जाने का न रास्ता कभी था न है, प्रार्थी की आराजी में जाने का रास्ता उसके बाप दादाओं के वक्त का मौके पर अलग से मौजुद है जो लगभग 100 साल पुराना है जो सरकारी रास्ता सड़क गिट्टी रोड़ उम्मेदपुरा से करूंकड़ा से दक्षिण दिशा में गुजते हुए आराजी सं0 37, 48 और 87 की पश्चिमी सीमा से होता हुआ आराजी सं0 58, 57 से प्रार्थीगण की आराजी में प्रवेश किये हुए है उक्त रास्ता मौके पर शेरनुमा गाडी गडार का है जिसके दोनों तरफ आराजीयों के लोहे के कंटिले जाली तार पत्थर पील्लर पर है बीच मे रास्ता है और इसी रास्ते पर आगे प्रार्थी ने अपनी आराजी में बरोकटोक जाता आता आ रहा है और अपनी आराजी सं0 53 में प्रवेश कर जाता है, इसी रास्ते से आ जाकर ट्रेक्टर लाकर अपनी आराजी में गेंहूँ की फसल बो रखी है जवाबदेहन्दा की आराजी सं0 31 व 32 की चारों सीमाओं पर पत्थर पील्लर कंटीले तार से जाली बाड़ कर रखी है उक्त जाली बाड़ 20 साल पुरानी है जिसमें प्रार्थी की आराजी में जाने आने का कोई रास्ता न था न मौके पर मौजूद है प्रार्थी का सुगम व लघुतम रास्ता उपरांकित शेरनुमा वर्तमान में चालू है, उक्त रास्ते से और अन्य आराजीयात के खातेदार भी रास्ते का उपयोग बरोकटोक करते आ रहे है। यह रास्ता शेरनुमा करीबन 14 फीट चौडा है जिससे ट्रोली ट्रेक्टर आराम से जा रहे आ रहे है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलग सं0 3 उल्लेखित कुलिया कथन गलत होने से स्वीकार नहीं, जवाब देहन्दागण की आराजीयात में से होकर प्रार्थी की आरजीयात में जाने आने का तथाकथित रास्ता न कभी था न मौके पर है, रास्ता न होने व उपयोग उपभोग न होने से किसी प्रकार का कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं। मौके पर जवाबदेहन्दागण की आराजीयात मे रास्ता ही नहीं है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलग सं0 4 उल्लेखित कुलिया कथन गलत होने से स्वीकार नहीं, जवाब कॉलग 3 में दिया है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलग सं0 5 उल्लेखित कुलिया कथन गलत होने से स्वीकार नहीं, जवाबदेहन्दागण की आराजीयात में से होकर प्रार्थी की आराजीयात में जाने आने का रास्ता नहीं, न था न है जवाबदेहन्दागण की आराजीयात हंकत बोवत है उक्त कुलिया आराजीयात में वर्तमान में जवाबदेहन्दागण ने गेहूँ की फराल बो रखी है और प्रार्थी की आराजीयात में जाने आने का रास्ता लघुतम शेरनुमा पुर्व से कायम है जिसका हवाला उपरांकित कॉलग में दिया है, रास्ता मौके पर पहले से मौजूद होने से प्रार्थी उक्त धारा में किसी प्रकार की दाद पाने का अधिकारी नहीं, मौका रिपोर्ट अस्पष्ट व गलत है जो स्वीकार नहीं।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलग सं0 6 उल्लेखित कुलिया कथन गलत होने से स्वीकार नहीं, जवाब उपरांकित कॉलग में दिया है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलग सं0 7 उल्लेखित कुलिया कथन गलत होने से स्वीकार नहीं, विनाय के अभाव में प्रार्थना पत्र काबिल खारीज के है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चितौडगढ

8. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 8 उल्लेखित कुलिया कथन गलत होने से स्वीकार नहीं, रास्ता पहले से शेरनुमा मौके पर मौजूद है जिससे बरोकटोक प्रार्थी आ रहा जा रहा है और रास्ते की जरूरत नहीं, जिससे यह प्रार्थना पत्र कानूनन काबिल खारीज के है समायत नहीं ।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 9 कानूनी है।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 10 कानूनी है।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 11 से पेश शपथ पत्र कथन गलत होने से स्वीकार नहीं जवाब की ताईद में शपथ पत्र पेश है।
12. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 12 उल्लेखित कुलिया कथन गलत होने से स्वीकार नहीं, प्रार्थी किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 03.01.2024 से कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शा0फा0 किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा आराजी संख्या 31 में अपना हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 8 को हकत्याग कर दिया गया है व प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है, जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)
   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी मौजा उम्मेदपुरा की आराजीयात पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।
   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।
   अप्रार्थीगण मौके पर अनुपस्थित।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत राहमति का प्रयास करें एवं राहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में राहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।
   ———

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलरी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)
   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट प्रस्तावित अनुसार
   आ0नं0 31 पश्चिमी दिशा– 144 वर्गमीटर (36 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई)
   आ0नं0 32 पश्चिमी दिशा– 156 वर्गमीटर (39 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई)
   कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर(0.03 हैक्ट0) है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

कुल राशि डी0एल0सी0 दर 508600 रूपये प्रति हैक्टयर से 300 वर्गमीटर भूमि की राशि 15258 रूपये का दुगुना 30516 रूपये बनते है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का करूंकडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी नं0 52 रकबा 0.21 हैक्ट0, आ0सं0 53 रकबा 0.29 हैक्ट0 स्थित है, पर आने जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी संख्या 31 व 32 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा उम्मेदपुरा की आ0 सं0 52 व 53 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का करूंकडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी नं0 52 व 53 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा उम्मेदपुरा की आ.न. 31 व 32 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 31 में से 36 × 4 = 144 वर्गमीटर, आ0नं0 32 में से 39 × 4 = 156 वर्गमीटर, कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 18.10.2022 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क के अनुसार कुल रकबा 300 वर्गमीटर की डीएलसी दर 508600 × 0.0300 = 15258 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 30516/— रूपये अक्षरे तीस हजार पांच सौ सौलह रूपये राशि जो कि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर—भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी कपासन